झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–636/2018– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– ब्राहम्णी सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 1161.55 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ एकसठ लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड में ग्राम– द्वारपारम के पास ब्राहम्णी नदी पर निर्मित ब्राहम्णी सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 1161.55 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ एकसठ लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. यह एक वीयर योजना है। इस योजना में तीन गेट का C/R, तीन गेट का H/R तथा 80 फीट लम्बाई में फॉलिंग शटर लगाया गया है और शेष भाग 120 फीट लम्बाई में वीयर क्रेस्ट से 2'6'' ऊँचा बोल्डर जोड़ाई किया गया है। इस योजना के मुख्य नहर की लम्बाई 6.48 कि०मी० तथा जलश्राव 78 क्यूसेक है। मुख्य नहर के चेन सं०– 6.40 से निःसृत चक्रधरपुर वितरणी की लम्बाई 4.50 कि०मी तथा जलश्राव 24 क्यूसेक है।

इस योजना का खरीफ सिंचाई क्षमता 1350 हे० है, जिसके विरूद्ध पिछले वर्ष मात्र 850 हे० में किसी तरह नहरों में पानी पहुँचाकर पटवन दिया जा सका है। इस योजना से चक्रधरपुर प्रखण्ड के आदिवासी बहुल 25 गाँवों में खेती हेतु सिंचाई की सुविधा दी जाती है।

4. इस प्राक्कलन में योजना के मुख्य नहर एवं चक्रधरपुर वितरणी के तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, तल सफाई एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं का मरम्मति तथा मुख्य नहर का पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य का प्रावधान है।

5. योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य कराकर पुनरूद्वार कार्य पूर्ण कराने पर खरीफ सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल हो सकेगी और लगभग 500 हे० खरीफ क्षेत्र में ह्रासित सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

6. इस पुनरूद्धार कार्य के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य के प्रमुख अवयवों की विवरणी परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

7. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाना है।

8. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०–1, चक्रधरपुर होंगे।

9. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई के कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-54-05-45)

12. वर्ष 2018–19 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

i. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 20000.00 लाख

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी उप कोषागार, चक्रधरपुर, चाईबासा से की जायेगी।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

17. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—636/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—636/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— उप कोषागार, चक्रधरपुर, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—636/2018— 45/18-19 प्र०वी० /राँची, दिनांक 01.01.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०—1, चक्रधरपुर/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

31/12/18

Annexure - I

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR RENOVATION OF BRAHMANI IRRIGATION SCHEME

Sl. No.	Component	Amount (in Lakh Rs.)
	CANAL WORKS	
1	Earth Work (Main Canal - 6.48 km and Distributary - 4.62 km)	208.35
2	Lining work (Main Canal only length - 6.48 km)	790.67
3	Fall Repair (At Ch. 2460 of Main Canal & Ch. 350 of Distributory)	1.25
4	Outlet / Inlets Repair (Main Canal & Distributory)	21.51
	Total :-	**1021.78**
	Add : GST - 12%	122.61
	Add : Labour Cess - 1%	11.44
	Add : Contingencies - 0.50%	5.72
	Grand Total :-	**1161.55**

45/18-19 पु.लो.
01.01.2019

31/12/2018
Deputy Secretary (Engg.)
Water Resources Department,
Jharkhand
31/12/18

C:\sam\Node 5\VKumar\Abstract of Cost of Anjanwa 24.10.18.xls